

परिशिष्ट-दो

प्रपत्र-2(क)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (संशोधन) नियमावली, 2013 के
नियम -17(क) को देखें

ई0मेल- deo.almora.dir@gmail.com

दूरभाष: 05962234796

फैक्स: 05962234796

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा,उत्तराखण्ड।

पत्रांक 8628
सेवा में,

दिनांक 12-12-19

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबन्धक
आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत
जिला-अल्मोड़ा।

विषय- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की
धारा 19(2) के प्रायोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का
अधिकार अधिनियम (संशोधन) नियमावली, 2013 के नियम -17(क) के
अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को
पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र निर्गत करने का प्रमाण-पत्र निर्गत करने
विषयक।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 12.12.2019 से साथ संलग्न उप सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् दिल्ली से सम्बद्धता प्रमाण पत्र संख्या
CBSE/AFF/Govt.Wing/3580005/2019 दिनांक 14.06.2019 के क्रम में आपके
विद्यालय, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत विकासखण्ड -ताड़ीखेत, अल्मोड़ा को अधिनियम की
धारा- 19(2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण
करने का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद अल्मोड़ा में आपके विद्यालय के
पंजीकरण की संख्या **Tarikhet-247** हैं। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में
निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उलंघन दृष्टिगोचर होता है,तो उत्तराखण्ड शिक्षा का
अधिकार नियमावली 2011 के नियम-18 के अनुसार विद्यालय की मान्यता/अनापत्ति
प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

Maj/Lt Col
SO
Army Public School
Ranikhet

Principal
Army Public School,
RANIKHET

भवदीय
मुख्य शिक्षा अधिकारी
अल्मोड़ा। 12-12-19